

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएस

प्रकरण सं० : 06/2026

अनवान :

1. जसवन्त पुत्र मांगेराम जाति मेघवाल निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. नरसीराम पुत्र मांगेराम जाति मेघवाल निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री मांगेराम जाति मेघवाल निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता संख्या 129/131 के खसरा संख्या 193 की 4.464 है0, खसरा संख्या 511/65 की 0.4550 है0, खसरा संख्या 512/243 की 0.2910 है0 कुल खसरा 3 की 5.210 है0 बरानी प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 जसवन्त व वादी संख्या 2 नरसीराम व प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम व प्रतिवादी संख्या 2 राजबाला को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Quili

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

